Class-III

L.A

Directorate of Agriculture, H.P.
Dy. No. 631
Date 9-10-14
Establishment Branch

हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग

संख्या एग्र.ए.ए.(3)–1/2014 तारीख शिमला– 2 1-10-2014

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में प्रयोगशाला सहायक वर्ग–III {अराजपत्रित} के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, प्रयोगशाला सहायक वर्ग–III {अराजपत्रित} भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां। **2.**(i) अधिसूचना संख्या एग्र.–बी.(15)–23/2002 तारीख 26.08.2004 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश, कृषि विभाग, प्रयोगशाला सहायक, वर्ग– III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2004 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव{कृषि}
हिमाचल प्रदेश सरकार

7-10-14

Sh. 9.X.14

Directorate of Agriculture H.P.
Dy. No. 351
Date 9/10/2014
Central Diary

पृ0 संख्या यथोपरि **तारीख** **शिमला–2** 1-10-2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव (वित्त)हि0प्र0 सरकार शिमला–2.
2. प्रधान सचिव {क्रार्मिक}हि0प्र0 सरकार शिमला–2.
3. प्रधान सचिव {सामान्य प्रशासन–सी} हि0प्र0 सरकार शिमला–2.
4. वरिष्ठ विधि अधिकारी–II, विधि विभाग, हि0प्र0 सरकार शिमला–2.
5. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव {विधि} हि0प्र0 सरकार, शिमला–2.
6. वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग (राजभाषा खण्ड) हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमाला–2
7. कृषि निदेशक, हि0प्र0 शिमला–5.
8. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

अवर सचिव {कृषि}
हि0प्र0 सरकार

उपाबन्ध –क

हिमाचल प्रदेष कृषि विभाग में प्रयोगशाला सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	:	प्रयोगशाला सहायक
2.	पद (पदों) की संख्या	:	36 (छत्तीस)
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग–III (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	:	5910–20200 /रूपए जमा 1900/–रूपए ग्रेड पे
	चयन पद अथवा अचयन पद	:	अचयन ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	:	लागू नहीं ।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।		लागू नहीं
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत (व्यक्ति) की दशा में लागू होगी या नहीं।		आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हता : हॉ, जैसी स्तम्भ 11 में विहित की गई है ।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।		दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10	<u>भर्ती की पद्धति :</u> भर्ती सीधी होगी या प्रोननति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः		शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण की दशा में (ग्रेड,) जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा ।		वर्ग–IV के कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होने 10+2 की परीक्षा पास की हो तथा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल, या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पॉच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।
			परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी

			को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी: परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता कि लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो: परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थान्तरण किया जाएगा। स्पष्टीकरण I उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" के साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखतें हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी। स्पष्टीकरण II:- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगें:- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल। 3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट। 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार - वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़ - भलौना और सांगना पटवार-वृत्त और शिलाई तहसील

का कोटा पाब पटपवार–वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार–वृत्त, बाली चौकी उप–तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुठगढ़, ग्रामन, देवगढ़, द्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार–वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार–वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियतिम सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगें:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना

			है, कि कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा य पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगें। स्पष्टीकरणः– अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्त ! प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।		जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।		लागू नहीं ।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं।		लागू नहीं ।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।		लागू नहीं ।
16	आरक्षण		सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17	विभागीय परीक्षा		लागू नहीं ।
18	शिथिल करने की शक्तियां		जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयेग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध / (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों)की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

45

ANNEXURE –"A"

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF LABORATORY ASSISTANT (CLASS-III] NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH.

1	Name of the post	:	Laboratory Assistant
2	Number of post(s)	:	36 (Thirty Six)
3	Classification	:	Class-III (Non-Gazetted)
4	Pay Scale	:	Rs. 5910-20200+1900 Grade Pay
5	Whether Selection post or non-selection post	:	Non-Selection
6	Age for direct recruitment	:	Not applicable
7.	Minimum Educational and other Qualification required for direct recruitment		Not applicable
8.	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s)		Age: Not applicable Educational Qualification: Yes as prescribed in Col. 11
9.	Period of probation, if any		Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reason to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment of by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.		100% by promotion
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made		By promotion from amongst the Class- IV officials who have passed $10^{th}+2$ Examination and also possess five year regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade. For the purpose of promotion a combined seniority list on the basis of length of service without disturbing their cadre wise

			seniority shall be prepared.

Provided that for the purpose of the promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal / Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas.

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service left for superannuation :

Provided further that officers / officials who have not served at least one tenure in Tribal / Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/ her seniority in the respective cadre.

Explanation-I

For the purpose of proviso (I) supra the " term" in Tribal / Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation -II

For the purpose of proviso (I) supra the Tribal / Difficult areas shall be as under :-

1. District Lahoul and Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal area of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnour
8. Kathvar and Korga Patwar circles of Kanrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar circle of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar circle of Shilai Tehsil in Sirmour District.
9. Khanyol- Bagra Patwar circle of Karsog Tehsil. Gada Gussaini. Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Balichowki sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, German, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur Gharmrehar and Bhatehar, Patwar circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kaplipar, Mangarh, Thach-Bagra, Narth Magru and South MAgru Patwar circle of Thunag Thesil and Batwara Patwar circle of Sundernagar in Mandi District

(I) In all cases of promotion the continuous adhoc service rendered in the feeder posts if any prior to regular appointment to the post shall be taken account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc

appointment / promotion in the feeder categories had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules :-

Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service / appointment) In the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category / post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the filled of consideration :

Provided further that all incumbent to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the recruitment and Promotion Rules for the post which ever is less. :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation :-

The last proviso shall not rendered the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-serviceman recruited under the provision of Rule –3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of the seniority thereunder or recruited under the provision of Rule –3 of the ex-Serviceman (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services). Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder posts, if any, prior to the regular appointment promotion against such posts shall be taken into account toward the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged

12.	If a Departmental promotion		As may be constituted by the

12.	Committee exists, what is its composition.		Govt. from time to time.
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		Not applicable
14.	Essential requirement for direct recruitment		Not applicable
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment		Not applicable
16	Reservation		The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.
17	Departmental Examination		Not applicable
18	Power to Relax		Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class of Category of person(s) or post(s)

Authoritative English Text of this Government Notification No. Agr.H (15)23/2002, dated 1.10.2014 as required under Article 348(3) of the constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Agriculture.

No. Agr.A.A(3)1/2014 Dated Shimla-2, 1.10.2014

NOTIFICATION

In exercise of the Powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Laboratory Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Agriculture, H.P. as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and commencement	1. (i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Agriculture Department, Laboratory Assistant, Class-III (Non Gezetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014. (ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Repeal and Savings	2. (i) The Himachal Pradesh Agriculture Department Laboratory Assistant, Class-III, (Non Gezetted) R&P Rules, 2004 notified vide notification No. Agr.B (15)23/2002 dated 26.08.2004 are hereby repealed. (ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (i) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By Order,
Additional Chief Secretary (Agr.) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above. **Dated Shimla-2,** 1-10-2014

Copy is forwarded to the following:-

1. The Principal Secretary (Finance) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Principal Secretary (Pers.) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Special Secretary (GAD-C) to the Govt. of H.P.
4. The Secretary HP Public Service Commission, Shimla-2.
5. ALR-Cum-under Secretary, Law (Opinion), to the Govt. of HP. Shimla-2.
6. The Director of Agriculture, H.P. Shimla-5.
7. The Controller, P&S, Shimla-5 for publication in the Rajpatra.

Under Secretary (Agr.) to the
Government of Himachal Pradesh.